

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 68/2020 (Bank Case)

GCMS No. 2020/00193

एच.डी.बी. फाईनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड पता- एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, 3, पार्क स्ट्रीट, अपोजिट पिंगसिटी पेट्रोल पम्प एम. आई. रोड, जयपुर (राज.) 302006 जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र सिंह राजावत।

- प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

बनाम

1. मैसर्स अयान स्टोन सप्लायर्स जरिये प्रोपराईटर जावेद खान, पता-प्लॉट नंबर -119, अनंतपुरा स्टोन मण्डी, कोटा, (राज.) 324005 - (ऋणी)
2. श्री बून्दु खान पुत्र श्री नांथा खान, पता-365 रानी के चौक के पीछे, गुमानपुरा, कोटा (राज.) 324007
3. श्री जावेद खान पुत्र श्री बून्दु खान, पता-365 रानी के चौक के पीछे, गुमानपुरा, कोटा (राज.) 324007
4. श्रीमती खातून बाई पत्नी श्री बून्दू खान, पता- मकान नंबर 356, संगम होटल की गली, रानी के चौक के पीछे, गुमानपुरा, कोटा (राज.) 324007
5. श्रीमती सलमा बानो पुत्री श्री ताज हसन, , पता- मकान नंबर 356, रानी के चौक के पीछे, गुमानपुरा, कोटा (राज.) व रूपपुरा, न्यू ग्रेन मण्डी, लाडपुरा, कोटा (राज0) 324005
6. श्री शब्बार खान पुत्र श्री बून्दु खान, पता-356 रानी के चौक के पीछे, गुमानपुरा, कोटा (राज.) 324005

- सहऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्वूरीटीजेशन रिकसट्रक्शन आफ फाईनेन्शियल ऐसिट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्वूरीटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002



उपस्थित

श्री एल.एस.राजपूत, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 22.12.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है एच.डी.बी. फाईनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड पता- एच.डी.एफ.सी.बैंक लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, 3, पार्क स्ट्रीट, अपोजिट पिंगसिटी पेट्रोल पम्प एम. आई. रोड, जयपुर (राज.) 302006 में स्थित है से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने दिनांक 27.03.2016 को अनुबंध संख्या 1412747 के जरिये रूपये 49,70,000/- (अक्षरे: रूपये उन्नचास लाख, सत्तर हजार मात्र) एवं दिनांक 30.11.2017 को जरिये अनुबंध संख्या 3433260 के जरिये राशि 10,08,440 /- रूपये(दस लाख आठ हजार चार सौ चालीस रूपये मात्र) कुल ऋण राशि 59,78,440 /- (अक्षरे


उनसठ लाख अठहत्तर हजार चार सौ चालीस रुपये मात्र)का ऋण लिया था। अप्रार्थी सं० 3 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्क्योरिटी के रूप में दो अचल सम्पत्तियां मकान गुमानपुरा स्थित, तहसील- लाडपुरा, जिला कोटा राजस्थान 324006 में स्थित है, जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में-मकान श्री धमेन्द्र तिवारी का, पश्चिम में- 15 फीट रोड, उत्तर में- सेठ श्री कस्तुर चन्द जी , दक्षिण में- आम रास्ता का स्थित है एवं मकान नंबर-356, घौसियों का मौहल्ला, संगम होटल की गली, गुमानपुरा , कोटा राजस्थान 324007 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1280 वर्गफुट है, जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में-मकान श्री धमेन्द्र तिवारी का, पश्चिम में- गली, उत्तर में- मकान कस्तुर चन्द का , दक्षिण में- रोड स्थित है को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के दोनों ऋण खातों को दिनांक. 03.09.2019 एवं 04.04.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 55,85,304.15/- (अक्षरे रूपये पचपन लाख, पिचयासी हजार, तीन सौ चार रूपये व पन्द्रह पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 30.06.2020 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 08.07.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र जनसत्ता में दिनांक 26.09.2020 को एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 26.09.2020 में प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 08.07.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 26.09.2020 को एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 26.09.2020 में प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत को दिनांक 08.07.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 26.09.2020 को एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 26.09.2020 में प्रकाशन भी कराया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्तियां मकान गुमानपुरा स्थित, तहसील- लाडपुरा, जिला कोटा राजस्थान 324006 में स्थित है, जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में-मकान श्री धमेन्द्र तिवारी का, पश्चिम में- 15 फीट रोड, उत्तर में- सेठ श्री कस्तुर चन्द जी , दक्षिण में- आम रास्ता का स्थित है

2 ✓
जिला पुलिस
कोटा (राज.)

एवं मकान नंबर-356, घौसियों का मौहल्ला, संगम होटल की गली, गुमानपुरा , कोटा राजस्थान 324007 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1280 वर्गफुट है, जिसकी चतुःसीमाएं पूरब में-मकान श्री धमेन्द्र तिवारी का, पश्चिम में- गली, उत्तर में- मकान कस्तुर चन्द का , दक्षिण में- रोड स्थित है का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।
आदेश आज दिनांक 22.12.2020 को सुनाया गया ।


(उज्जवल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)